

उत्तराखण्ड शासन,  
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग-2  
संख्या: /2023-XIX-2/37 खाद्य/2022 टी0सी0  
देहरादून: दिनांक 19 मई, 2023

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 32 के प्रावधानों के अन्तर्गत अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत अग्रिम आदेशों तक निम्नलिखित तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों के अध्यक्षों को सम्मुख कॉलम-3 में अंकित जनपदों के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	मैदानी जनपद का नाम जिनके अध्यक्ष को पर्वतीय जनपदों के जिला आयोग के रिक्त अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाना प्रस्तावित है।	पर्वतीय जनपदों के नाम
1	2	3
1.	देहरादून	1. उत्तरकाशी 2. टिहरी गढ़वाल
2.	हरिद्वार	1. पौड़ी गढ़वाल 2. चमोली 3. रुद्रप्रयाग
3.	नैनीताल	1. अल्मोड़ा 2. बागेश्वर
4.	ऊधमसिंह नगर	1. चम्पावत 2. पिथौरागढ़

2- उक्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों को अतिरिक्त प्रभार के दायित्व के निर्वहन हेतु कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ता देय नहीं होगा।

(~~संयोजक~~ Sant Kumar)

Sant


Date: 15-05-2023 17:08:36

2023

संख्या :- 359 (1)/2023-XIX-2/37 खाद्य/2022 टी0सी0 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, मा0 मुख्य मंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- 3- स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 4- निजी सचिव, मा0 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- 5- अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड।
- 8- आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड।
- 9- आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 10- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 11- अपर निदेशक, लेखन एवं मुद्रण, रूडकी को आगामी गजट में प्रकाशन हेतु।
- 12- समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से  
  
(राजेश कुमार)  
अनुसचिव।